(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 52/2015–2020

दिनांकः 18 जनवरी, 2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.42 में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.42 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

<table>
<tr><th>मौजूदा पैरा 4.42</th><th>संशोधित पैरा 4.42</th></tr>
<tr><td>(घ) परिशिष्ट–4ञ के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यदि किया गया निर्यात प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से अधिक है तो पूरा नहीं किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5% प्रति माह की दर से और जहां प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से कम निर्यात किया गया है, 1% प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क लगाया जाएगा।</td><td>(घ) परिशिष्ट–4ञ के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में संयोजन शुल्क निम्नानुसार यथा निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा:
<table>
<tr><th>जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) लाईसेंस का सीआईएफ मूल्य</th><th>लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)</th></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये तक</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ से अधिक</td><td>15,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि को समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो निर्यात दायित्व में हुई कमी के 0.5 प्रतिशत के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वघोषणा क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध है।</td><td>(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा:
<table>
<tr><th>अग्रिम प्राधिकार पत्र का सीआईएफ मूल्य</th><th>लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)</th></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये तक</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ से अधिक</td><td>15,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

सं. सारंगी

<table>
<tr><td></td><td>प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्व–घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध हैं।</td></tr>
<tr><td>(च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र धारक ने मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व समानुपाती आधार पर पूरा कर लिया है। यह निर्यात दायित्व के अधूरे एफओबी मूल्य पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा और किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान एफटीपी 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियॉं आवेदक के पाए उपलब्ध है।</td><td>(च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ड.) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन विचार किया जा सकता हैः
<table>
<tr><th>अग्रिम प्राधिकार पत्र का सीआईएफ मूल्य</th><th>लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)</th></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये तक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ से अधिक</td><td>30,000</td></tr>
</table>
क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी आगे का विस्तार अनुमत नहीं होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियॉं आवेदक के पास उपलब्ध है।</td></tr>
<tr><td>(छ) हटा दिया गया है।</td><td>(छ) जब भी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रतिबंध लगाने से पहले ही जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि स्वचालित रूप से प्रतिबंध की अवधि के समतुल्य अवधि के लिए बिना किसी संयोजन शुल्क के बढ़ा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ज) एचबीपी (2015–20) के पैरा 4.42 के तहत ईओपी विस्तार के लिए संशोधित संयोजन शुल्क केवल 19.01.2023 को या उसके बाद किए गए अनुरोधों के लिए लागू होगा। हालांकि मौजूदा/लंबित आवेदन एचबीपी (2015–20) के पहले के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा ही अभिशासित होंगे।</td></tr>
</table>

सं. सारंगी

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के विस्तार और डीजीएफटी की उच्च आईटी सक्षमता के मामले में संयोजन शुल्क लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रक्रिया पुस्तिका 2015–2020 के पैरा 4.42 में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
18.1.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/133/एएम–22/पीसी–4 से जारी)